01

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 18-12-2020

यातायात नियमों का उल्लंघन कर फर्राटा भरने वाले वाहनों/व्यक्तियों का ई-चालान व सीज करने की कार्यवाही हेतु श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा समस्त क्षेत्राधिकारी/प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया है, इसी क्रम में आज दिनांक:-18-12-2020 को जनपदीय पुलिस बल द्वारा एम0वी0 एक्ट के अंतर्गत 375 वाहनों को चेक किया गया तथा कुल 118 वाहनों का चालान कर ₹ 1,17,800/-शमन शुल्क वसूल किया गया।

02

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 18-12-2020

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में श्री मायाराम वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक के दिशा निर्देश व पुलिस उपाधीक्षक, सदर श्री प्रदीप कुमार यादव के कुशल पर्यवेक्षण में, श्री महेश सिह, थानाध्यक्ष कपिलवस्तु के कुशल नेतृत्व मे आज दिनाक18.12.2020 को समय 10:30 बजे थाना कपिलवस्तु पुलिस द्वारा एक तस्कर को 15 शीशी नेपाली शराब नाजायज़ के साथ ग्राम मझौली के पास से गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

1- बृजमोहन मौर्या पुत्र सुंदर प्रसाद सा.बसंतपुर थाना कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर।

टीम का विवरण -

1- उप-निरीक्षक श्री किशोरी लाल चौधरी , थाना कपिलवस्तु जनपद सिद्धार्थनगर |

2-का. सलीम थाना कपिलवस्तु जनपद सिद्धार्थनगर |

03

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 18-12-2020

थाना उसका बाजार जनपद सिद्धार्थनगर- दो अभियुक्त को धारा 151 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत श्री मायाराम वर्मा अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल निर्देशन, श्री प्रदीप कुमार यादव क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल पर्यवेक्षण व प्रभारी निरीक्षक श्री राहुल सिंह यादव के नेतृत्व में आज दिनांक 18.12.2020 को संज्ञेय अपराध घटित होने से रोकने एवं शांति व्यवस्था कायम रखने के दृष्टिगत धारा 151/107/116 सीआरपीसी के अन्तर्गत 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

04

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 18-12-2020

आज दिनांक 18.12.2020 को श्री राधेश्याम राय, प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली सिद्धार्थनगर के नेतृत्व में उ0नि0 श्री अजय सिंह, उ0नि0 श्री रामभवन पासवान, हे0का0 अर्जुन यादव, हे0का0 अभयनन्दन सिहं, का0 फैज खान, का0 बृजेश कुमार, का0 योगेन्द्र यादव टीम द्वारा शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखने हेतु थाना कोतवाली सिद्धार्थनगर जनपद सिद्धार्थनगर क्षेत्र में शान्ति व्यवस्था भंग करने वाले कुल 06 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा 151/107/116 सीआरपीसी में माननीय न्यायालय भेजा गया।

05

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 18-12-2020

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा "अपराध की रोकथाम एंव अपराधियों की गिरफ्तारी" के सम्बन्ध में चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्री मायाराम वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण व श्री प्रदीप कुमार यादव, क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल निर्देशन में श्री जय प्रकाश दुबे, थानाध्यक्ष थाना मोहाना के नेतृत्व में थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0स0 277/2020 धारा 13 जुआ अधिनियम मे अभियुक्तगण 1. अफरोज अहमद पुत्र नेवास अली सा0 मधुबनी खास थाना मोहाना जनपद सि0नगर, 2. मैनुद्दीन पुत्र नेवास अली सा0 गौहनिया पूरब थाना मोहाना जनपद सि0नगर, 3. राधेश्याम गुप्ता पुत्र रामप्यारे गुप्ता सा0 गुण्डी मोहल्ला थाना नौतनवा जनपद महराजगंज को गिरफ्तार माननीय न्यायालय भेजा गया।

***गिरफ्तार करने वाली टीम**-*

1. श्री जयप्रकाश दुबे थानाध्यक्ष थाना मोहाना जिला सिद्धार्थनगर।
2. उ0नि0 ओमप्रकाश तिवारी थाना मोहाना जिला सिद्धार्थनगर।
3. का0 दिनेश यादव थाना मोहाना जिला जिला सिद्धार्थनगर।
4. का0 अभिषेक यादव थाना मोहाना जिला जिला सिद्धार्थनगर।

05

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 18-12-2020

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में “अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान” के अन्तर्गत श्री मायाराम वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में व श्री राणा महेन्द्र प्रताप सिंह, पुलिस उपाधीक्षक शोहरतगढ़ के कुशल निर्देशन में आज दिनांक 18.12.2020 को श्री राजेन्द्र बहादुर सिंह, प्रभारी निरीक्षक शोहरतगढ़ को नेतृत्व में उ.नि. ओमकारनाथ मिश्रा, उ.नि. सीताराम यादव, उ.नि. राम अवधेश सिंह टीम द्वारा शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखने हेतु थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर क्षेत्र मे शान्ति व्यवस्था भंग करने वाले 10 व्यक्तियो को अन्तर्गत धारा 151/107/116 सीआरपीसी मे माननीय न्यायालय/जेल भेजा गया।

06

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 18-12-2020

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर द्वारा थाना इटवा में इटवा सर्किल का अर्दली कक्ष/अपराध समीक्षा गोष्ठी कर प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षगणों को आवश्यक दिशा- निर्देश दिये गये।

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा आज दिनांक 18-12-2020 को थाना इटवा में इटवा सर्किल के थाना-इटवा, मिश्रौलिया, गोल्हौरा का अर्दली कक्ष/अपराध समीक्षा गोष्ठी कर सर्किल की कानून-व्यवस्था की समीक्षा की गयी तथा प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षगण को निम्न आवश्यक दिशा- निर्देश दिये गये।

महोदय द्वारा निम्न बिन्दुओं पर विस्तृत रूप से चर्चा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

1. आईटी अधिनियम के लंबित अभियोगों का विवरण।
2. महिला अपराध (धारा 354,363,366,376 भादवि0 का विवरण)
3. धोखाधड़ी (419,420 भादवि0) के लिए लंबित अभियोगों का विवरण।
4. IGRS पोर्टल पर लंबित मामलों का विवरण।
5. माननीय न्यायालय में दाखिल किये जाने हेतु शेष आरोप-पत्र / अंतिम रिपोर्ट का विवरण।
6. सार्वजनिक स्थानों पर अवैध शराब/मदिरा-पान करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया।
7. वांछित अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया।
8. गिरफ्तारी हेतु शेष चल रहे वांछित अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया।
9. टाप-10 अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया।
10. चिन्हित गैंग के पंजीकरण एवं उनके विरुद्ध कार्यवाही के बारे में जानकारी की गयी।
11. भूमि-विवाद प्रकरण/थाना स्तर पर शिकायती प्रार्थना-पत्रों के निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया।

तत्पश्चात महोदय द्वारा विवेचनाओं के निस्तारण, पुराने मामलों के निस्तारण, जनशिकायत द्वारा प्राप्त प्रार्थना-पत्रों के निस्तारण के सम्बन्ध में कड़े निर्देश दिये गये। शहर व ग्रामीण इलाकों में पैदल गश्त, साइबर अपराध के रोकथाम सम्बन्धी प्रचार-प्रसार, साक्ष्य के आधार पर विवेचनाओं का निस्तारण एवं अभियुक्तों के प्रति वैधानिक कार्यवाही, निरोधात्मक कार्यवाही में गुण्डा अधिनियम,गैंगेस्टर अधिनियम के अन्तर्गत अभियान चलाकर कार्यवाही किये जाने आदि बिन्दुओं पर महोदय द्वारा निर्देश दिया गया। उक्त गोष्ठी के दौरान श्री अजय कुमार श्रीवास्तव, क्षेत्राधिकारी इटवा, समस्त प्रभारी/थानाध्यक्षगण सर्किल इटवा एवं सर्किल इटवा के अधिकारी/करमचारीगण मौजूद रहे।